न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :–............../2016/भीलवाड़ा

श्रीमती रूपा पुत्री कजोड़ गुर्जर पत्नि रूपा गुर्जरन, निवासी भैरूखेड़ा, तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा हाल निवासी सिंहजी का खेडा, तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा।

........अपीलाण्ट

बनाम

1. नारायण पुत्र कजोड़ गुर्जर
2. जगदीश दत्तक पुत्र हीरा गुर्जर
3. मु0 लाली पुत्री हीरा गुर्जर
4. जडाव पुत्री हीरा गुर्जर

   समस्त निवासी भैंरूखेड़ा, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा।

5. देउ पुत्री कजोड़ गुर्जन पत्नि बालूजी गुर्जर, निवासी इन्दोकडा की झोपडिया,

   तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

6. ग्राम पंचायत ककरोलिया घाटी, तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा।

...........रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी दिनांक 26.06.2015 व अपील संख्या 6/2012 बउनवानी रूपा बनाम नारायण वगैरह में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0ः–श्री गोविन्द शर्मा (अपीलांट अभि0)

रेस्पो0 अभि0ः–श्री मदनलाल गुर्जर

राजकीय अभि0ः– श्री आकाश पारीक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांकः—25.05.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि ग्राम भैरूखेड़ा पटवार हल्का ककरोलिया घाटी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में स्थित है। नये खाता नम्बर 3,130,99 ग्राम भैरूखेड़ा में कजोड़ पुत्र गोपी गुर्जर अन्य सहखातेदारो के साथ रिकोर्ड में दर्ज है। कजोड़ की मृत्यु के बाद नामांरण संख्या 346 दिनांक 31.10.1996 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त नामातंरण को खोलते समय कजोड़ के पुत्र हिरा व नारायण के साथ उसकी पुत्रियां रूपा व देउ का नाम भी पटवारी द्वारा नामातंरण में भरा गया था। मगर ग्राम पंचायत द्वारा मृतक कजोड़ की पुत्रियों का नाम हटाते हुए सिर्फ कजोड़ के पुत्रों हिरा व नारायण के नाम विवादित नामातंरण संख्या 346 खोल दिया। उक्त नामातंरण की अपील रूपा पुत्री कजोड़ गुर्जर द्वारा एस0डी0ओ कोटड़ी में की गई। जिसके नम्बर 6/2012 है। उक्त अपील के साथ ही स्थगन प्रार्थना पत्र 72/2012 भी दर्ज करवाया गया। उक्त स्थगन पत्रावली में स्थगन आदेश जारी किया गया था। दिनांक 06.01.2015 के बाद पत्रावली दिनांक 18.06.2015 को पत्रावली सुनवाई हेतु तय की गई थी। मगर उसके स्थान पर पत्रावली दिनांक 26.06.2015 को राजस्व लोकअदालत कैम्प ग्राम पंचायत नंन्दराई में प्रस्तुत कर अपीलांट व अन्य पक्षकार की गैर मौजूदगी में मात्र रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की उपस्थिति में सुनवाई करके उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनकर अपील खारिज कर दी गई। निम्मलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा रही है—

1. रेस्पो0 संख्या 3 व 4 ने तामीलशुदा नोटिस के बावजूद रूपा की मृत्यु बताकर अपील खारिज करवा दी।
2. अन्य वाद के विचाराधीन मानते हुए अपील को निरस्त किया गया जो गलत है।
3. कजोड़ की भूमि में उनका रूपा और देउ का अधिकार जन्म से ही है।
4. उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.06.2015 की प्रोसिडिंग में विरोधाभास है। अतः अपीलाधीन आदेश 26.06.2015 निरस्त किया जायें तथा कजोड़ गुर्जर की भूमि में अपीलांट रूपा और उसकी बहन देउ का नाम जोड़ा जायें।

अपील के साथ वकील अपीलांट [illegible] प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र तथा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। अपील के साथ प्रकरण संख्या 6/2012 , विवादित नामातंरण 346 दिनांक 31.10.1996 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है। अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर्ड की गई, रेस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:43 IST
Reason: SelfAttested

को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब कर प्राप्त की गई।

बहस उभयपक्ष वकील सुनी गई, सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अवधि प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट के अनुसार अपीलाधीन दिनांक 26.06.2015 की जानकारी उसे नहीं थी। क्योंकि आदेश एकपक्षीय तरीके से जारी किया गया था। जानकारी प्राप्त होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 18.07.2016 को न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत कर दी गई है। चूंकि अपीलांट के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी द्वारा उसकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश जारी किया गया था और उसे जो जानकारी हुई तो उसने अपील प्रस्तुत कर दी है। जानकारी के दिन से अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा अपने स्थगन प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अपीलाधीन आदेश की आड़ में उसके भाई भूमि को खुर्द–बुर्द कर सकते है। अतः एस0डी0ओ के आदेश दिनांक 26.06.2015 की पालना को अपील प्रसारण तक स्थगित किया जायें तथा मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति रखी जायें।

बहस उभयपक्ष अभि0 सुनी गई, अपीलांट की ओर से श्री गोविन्द शर्मा तथा रेस्पो0 नम्बर 3 व 4 की तरफ से श्री मदनलाल गुर्जर उपस्थित हुए। रेस्पो0 नम्बर 1, 2 व 5, 7 अनुपस्थित रहे।

बहस में वकील अपीलांट द्वारा बताया कि अपीलांट रूपा मृतक कजोड़ की पुत्री है। नामातंरण संख्या 346 दिनांक 31.10.1996 ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप में स्वीकृत किया गया था। जिसकी अपील उनके द्वारा एस0डी0ओ कोटड़ी में की गई थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और 8 में मृतक की पुत्रीयां प्रथम श्रेणी की वारिसान होती है। पटवारी द्वारा भी उक्त नामातंरण भरते समय मृतक की पुत्रीयों के नाम नामातंरण फार्म में भरे गये थे। मगर ग्राम पंचायत द्वारा सिर्फ पुत्रों के नाम नामातंरण खोला गया। रूपा पुत्री कजोड़ द्वारा इस संबंध मे एक अपील (6/2018) एस0डी0ओ कोटड़ी में दिनांक 06.07.2012 को करवायी गयी। जिसके साथ प्रस्तुत स्टे एप्लीकेशन में (72/2012) स्टे भी दिया गया था। मगर हमे बताई गई तिथि 18.06.2015 को [illegible] पत्रावली को लोकअदालत कैम्प नंन्दराई में रखकर दिनांक 26.05.201[illegible] को रेस्पो0 नम्बर 3 व 4 की उपस्थिति में उनके द्वारा अपीलांट रूपा को मृतक बताते हुए अपील खारिज करवा दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:43 IST
Reason: Self Attested

वकील रेस्पो0 द्वारा बहस में बताया गया कि उनके पक्षकार द्वारा दायर दावां संख्या 3/2011 में अपीलांट को पक्षकार बनना चाहिए था। जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इस संदर्भ में आरआरडी 1985 पेज 170 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। साथ ही यह भी कहा कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया था। सिर्फ स्टे दिया गया था। रिब्युटल में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि लोकअदालत के नाम पर गलत फैसला दिया गया तथा रूपा की मृत्यु बाबत कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट को वादपत्र में पार्टी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि इस प्रकरण में नहीं है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत प्रकरण संख्या 03/2011 जगदीश गुर्जर निवासी भैरूखेड़ा बनाम श्रीमति लाली पुत्री हिरालाल गुर्जर मुकदमा नम्बर 03/2011 अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए की प्रोसिडिंग दिनांक 21.04.2016 का अवलोकन किया। उक्त प्रोसिडिंग के अनुसार अदम हाजरी एवं अदम पैरवी के कारण राजस्व दावा/वादपत्र खारिज किया गया। चूंकि वाद खारिज हो चुका है अतः वकील रेस्पो0 की बात बेअसर है कि अपीलांट को प्रकरण संख्या 03/2011 में आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनना चाहिए था।

अपीलांट रूपा द्वारा नामातंरण संख्या 346 दिनांक 31.10.1996 के विरूद्ध अपील संख्या 06/2012 प्रस्तुत की थी। जिसमें दिनांक 26.06.2015 को यह बताते हुए कि रूपा की मृत्यु 25 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा विवादित अपीलाधीन आराजी बाबत एक नियमित राजस्व वाद संख्या 03/2011 जगदीश बनाम श्रीमति लाली वगैरह जैर कार्यवाही है। पक्षकार को सुनते हुए नियमित राजस्व वाद के जैर कार्यवाही होने से नामातंरण प्रोसिंडिंग को स्थगित किये जाने का आदेश दिये तथा पत्रावली को फैसल शुमार बताया। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रकरण संख्या 03/2011 दिनांक 21.04.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2015 लोकअदालत रेस्पो0 नम्बर 3 व 4 की उपस्थिति में फैसल शुमार किया है। जबकि पक्षकारों के मध्य कोई सहमति नहीं थी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उस प्रकरण के आधार पर जिसमें रूपा और उसकी बहिन पक्षकार ही नहीं थे(प्रकरण संख्या 03/2011) , अपील की कार्यवाही को स्थगित करते हुए पत्रावली को फैसल शुमार कर दिया गया। उक्त आदेश विधि के सिद्धांतो के विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:43 IST
Reason: SelfAttested

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6 पुत्र की तरह पुत्री भी सहदायी है, चाहे संशोधन के पूर्व जन्मी हो या बाद में और समान अधिकार और दायित्व रखती है। उक्त न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 817 दिया गया है। वर्तमान अपीलाधीन प्रकरण में नामातंरण दिनांक 31.10.1996 को नामातंरण संख्या 346 के माध्यम से खोला गया था। इस बात में कोई शंका नहीं है कि रूपा और देउ मृतक कजोड़ की पुत्रीयां थी तथा नारायण और हिरा कजोड़ के पुत्र होकर रूपा और देउ के भाई थे मगर ग्राम पंचायत द्वारा नामातंरण स्वीकृत करते समय नारायण और हिरा की बहिनों रूपा और देउ का नाम छोड़ते हुए नामातंरण सिर्फ अपने नाम स्वीकृत करवा लें। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रीयां प्रथम श्रेणी की हकदार वारिस है। इसी बात की पुष्टि 2013(2)आरआरटी पेज 1284 के अनुसार पैतृक संपत्ति में यदि पुत्रीयों के नाम नामातंरण नहीं खुला है तो वे मूल नामातंरण जिसमें उनका नाम छोड़ा गया है कि अपील पेश कर सकती हैं। उन्हें दावत पेश करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते है। रूपा को मृत मानते हुए जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2015 जारी किया है वो गलत है। क्योकि उसके स्वयं का तामीलशुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद था जिसमें रूपा को दिनांक 26.06.2015 को नन्दराई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होने को कहा गया था।

उपरोक्तानुसार विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोकअदालत के नाम पर अपीलांट रूपा को मृतक बताते हुए प्रकरण संख्या 03/2011 में रूपा और देउ के पक्षकार न होते हुए भी रूपा द्वारा दायर नामातंरण अपील को स्थगित रखते हुए पत्रावली को फैसल शुमार किया जाना तथ्यों और विधि के विपरित है जिसकी वजह से उक्त अपीलाधीन आदेश को किसी भी वजह से बहाल नहीं रखा जा सकता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2015 को निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी को पत्रावली इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह मृतक कजोड़ के वारिसान की जांच कर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की पालना करते हुए अपील का निस्तारण करें। तब तक विवादित भूमि की मौके और रिकोर्ड की यथारिथति बनाये रखी जायें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:43 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी का प्रकरण संख्या 01/2012 उनवानी रूपा बनाम नारायण में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2015 को निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी को पत्रावली इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह मृतक कजोड़ के वारिसान की जांच कर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की पालना करते हुए अपील का निस्तारण करें। तब तक विवादित भूमि की मौके और रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जायें।

यह आदेश आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:43 IST
Reason: SelfAttested